"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

Seen
26/2/13

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2013— माघ 26, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2013

क्रमांक 69/694/2012/1-8/स्था.—श्री विजय कुमार चौधरी, स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, जनसंपर्क, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 31-12-2012 से 05-01-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 30-12-2012 तथा 06-01-2013 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चौधरी, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, जनसंपर्क, आवास एवं पर्यावरण विभाग के स्टॉफ ऑफिसर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 01-05/दो गृह/भापुसे/2005.—इस विभाग के आदेश क्रमांक समसंख्यक दिनांक 15-02-2012, दिनांक 10-05-2012 एवं आदेश दिनांक 20-06-2012 द्वारा श्रीमती नेहा चंपावत, (भा. पु. से.), सहायक पुलिस महानिरीक्षक को दिनांक 01-02-2012 से दिनांक 14-09-2012 तक का चाईल्ड केयर अवकाश स्वीकृत गया है.

2. राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश अवधि में वृद्धि करते हुये श्रीमती नेहा चंपावत, (भा. पु. से.), सहायक पुलिस महानिरीक्षक को दिनांक 15-09-2012 से दिनांक 23-10-2012 (39 दिवस) तक के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये दिनांक 24-10-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है.

3. अवकाश काल में श्रीमती चंपावत को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा चंपावत, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

कृषि (पशुधन विकास) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक एफ-08-54/35/10/2012.— रायपुर सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ मर्यादित के सेटअप अनुसार 167 पदों को (संलग्न सूची अनुसार) शामिल करते हुए "छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित" का गठन हेतु राज्य शासन की सहमति प्रदान की जाती है. रायपुर सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ मर्यादित की समस्त आस्तियां एवं दायित्व, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ को अंतरित होंगे.

2. उपरोक्त महासंघ में विभागीय डेयरी सेवा के अन्तर्गत स्वीकृत 168 पदों पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को पद सहित स्थानांतरित किया जाता है. ऐसे समस्त अधिकारी तथा कर्मचारियों को (संलग्न सूची अनुसार) महासंघ में प्रतिनियुक्ति पर माना जावेगा, किन्तु उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ते की पात्रता नहीं होगी. परन्तु उपरोक्त शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले (पदोन्नति एवं पेंशन आदि) लाभ उनके मूल पद की सेवाशर्तों के अनुसार पूर्ववत् प्राप्त होते रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय रायपुर दुग्ध संघ हेतु मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ भोपाल द्वारा दिनांक 01-11-2000 को स्वीकृत अनुसार 31-12-2012 की स्थिति

क्र.	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अतिशेष	नियमित कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्रबन्ध संचालक	-	1	-	-	डॉ. एस. एस. गहरवार (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियुक्त)
1.	महाप्रबन्धक	1	1	-	-	1-पी. के. शूर
2.	महाप्रबन्धक (संयंत्र	1	-	1	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	उप महाप्रबन्धक :					
	1-क्षेत्र संचा.	1	-	1	-	-
	2-उत्पादन	1	1	-	-	1-एस. के. मट्टू
	3-विपणन	1	-	1	-	-
	4-क्रय	1	-	1	-	-
	5-प्रशासन व कार्मिक	1	1	-	-	1-सुनील कोलते
	6-वित्त	1	-	1	-	-
		6	**2**	**4**		
4.	सहायक महाप्रबन्धक :					
	1-क्षेत्र संचा.	4	2	2	-	1-श्री आर. एस. शर्मा 2-श्री ए. के. जैन
	2-उत्पादन	4	4	-	-	1-श्री एस. पी. वर्मा 2-श्री किरन शर्मा 3-श्री आर. आर. पाठक 4-श्री आलोक राय
	3-यांत्रिकी	1	1	-	-	1-श्री एम. एन. अहमद
	4-गुण नियंत्रण	1	1	-	-	1-श्री मुकुल तायल
	5-वित्त	1	1	-	-	1-श्री जे. आर. भगत
	6-एम. आई. एस.	1	-	1	-	-
	7-विपणन	-	1	-	1	1-श्री राजेश श्रीवास्तव (प्रतिनियुक्ति पर)
		12	**10**	**3**	**1**	
5.	प्रबन्धक :					
	1-उत्पादन	8	6	2	-	1-श्री टी. एस. आहूजा 2-श्री पी. के. चुंग 3-श्री आर. के. सिंहदेव 4-श्री जी. मजूमदार 5-श्री वी. पी. कुमठेकर 6-श्री शेलेश मिश्रा
	2-यांत्रिकी	1	1	-	-	1-श्री एस. एम. नकवी
	3-गुण नियंत्रण	1	1	-	-	1-श्री ए. के. वराडपाण्डे
	4-वित्त	2	1	1	-	1-श्री डी. के. खाण्ड़वे
	5-विपणन	2	1	1	-	1-श्री अशोक सिंह
	6-क्षेत्र संचालन	7	-	7	-	-
	7-पी. आर. ओ.	1	-	1	-	-
		22	**10**	**12**		
6.	लेखापाल	6	4	2	-	1-श्री एस. एन. दुबे (वित्त) 2-श्री उदय मोहदीवाले (वित्त) 3-श्री एन. के. जैन (स्थापना) 4-श्री एस. के. अग्रवाल (विपणन)
7.	स्टेनो	3	1	2	-	1-श्री लूथर मसीह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	वरिष्ठ तकनीशियन	4	5	-	1	1-श्री बी. भास्कर रेडडी 2-श्री एल. सी. सरकार 3-श्री अजय दुबे 4-श्री वी. के. सेमुअल 5-श्री आर. एल. सिन्हा
9.	डाटा आर्गेनाईजर	2	1	1	-	1-श्री एन. के. दुबे
10.	वरिष्ठ तकनीशियन-गुण नियंत्रण.	2	-	2	-	-
11.	एस. पी. ओ.	7	3	4	-	1-श्री जे. एस. कुशवाहा 2-श्री एस. के. सोनी 3-श्री एच. आर. यदु
12.	वरिष्ठ व्ही. ई. ओ.	6	4	2	-	1-श्री डी. के. दुबे प्रतिनियुक्ति पर. 2-श्री आर. एस. साहू-धमतरी 3-श्री पी. आर. साहू प्रतिनियुक्ति पर. 4-श्री टी. एल. पटेल प्रतिनियुक्ति पर.
13.	व्ही. ई. ओ.	22	19	3	-	1-श्री टी. के. देवांगन 2-श्री ए. के. राय प्रतिनियुक्ति पर. 3-श्री बी. के. साहू प्रतिनियुक्ति पर. 4-श्री के. पी. वर्मा 5-श्री रविकुमार सिंग प्रतिनियुक्ति पर. 6-श्री यू. आर. खटकर 7-श्री एस. एस. पात्रे 8-श्री एन. के. दुबे 9-श्री आर. एल. टेकाम 10-श्री डी. के. पटेल (दिनांक 12-9-12) को प्रतिनियुक्ति से कार्यमुक्त किन्तु उपस्थित नहीं हुए. 11-श्री एस. एल. चन्द्राकर प्रतिनियुक्ति पर. 12-श्री ओ. पी. देवांगन 13-श्री एल. एल. राठौर 14-श्री आर. एस. ठाकुर 15-श्री निरंजनसिंह 16-श्री एन. के. रात्रे 17-श्री जी. एन. गारूड़िक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						18-श्री जी. आर. कुर्रे 19-श्री जे. पी. उपाध्याय प्रतिनियुक्ति पर.
14.	वरिष्ठ सहायक-प्रशासन	2	1	1	-	1-श्रीमती पी. नायडू
15.	भंडार सहायक	1	1	-	-	1-श्री सगुनलाल वर्मा
16.	वरिष्ठ सहायक-गु. नि.	3	1	2	-	1-श्री जी. एन. चन्द्राकर
17.	बायलर अटेन्डेन्ट	1	2	-	1	1-श्री एम. के. निषाद 2-श्री बी. पी. निर्मलकर
18.	तकनीशियन	12	10	2	-	1-श्री एम. एल. सिन्हा 2-श्री आर. डी. साहू 3-श्री आर. के. वर्मा 4-श्री पी. प्रसाद 5-श्री एस. के. मुड़े 6-श्री जी. आर. सेन 7-श्री के. के. नायडू 8-श्री के. जी. सामकुट्टी 9- श्री आर. आर. यादव 10-श्री आर. आर. महतो
19.	टेंकर चालक	5	5	-	-	1-श्री यू. आर. कावडकार 2-श्री आर. एस. यादव 3-श्री अवधेश दुबे 4-श्री एस. के. यादव 5-श्री रामकिशन साहू
20.	कनिष्ठ सहायक	8	8	-	-	1-श्री के. वी. वी. एस. नारायण 2-श्री पी. एन. उपाध्याय 3-श्री आर. के. जैन प्रतिनियुक्ति पर. 4-श्री एन. के. शेण्डे 5-श्री एच. एल. साहू 6-श्री राकेश तिवारी 7-श्री आर. एस. धृतलहरे 8-श्री सी. एल. मनहरे
21.	निम्न श्रेणी लिपिक	4	13	-	9	1-श्री यू. के. कुरूप 2-श्री के. वी. वी. ताताराजू 3-श्री वी. डी. तिवारी 4-श्री बीरसिंह पटेल 5-श्री आर. एस. मिश्रा 6-श्री के. के. वर्मा (अनुकम्पा) 7-श्रीमती विमल झा (अनुकम्पा)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						8-श्री डी. पी. मलेवार 9-श्री विवेक टेंभरे (अनुकम्पा) 10-श्रीमती एन. खनूजा (अनुकम्पा) 11-श्रीमती दीपशिखा (अनुकम्पा) 12-श्रीमती सुषमा बलैया (अनुकम्पा) 13-श्रीमती हेमलता शर्मा (अनुकम्पा)
22.	डेयरी डाक सहायक	0	3	-	3	1-श्री रामलाल शर्मा 2-श्री राजेश गुप्ता 3-श्री एन. एन. द्विवेदी.
23.	जीप चालक	4	4		-	1-श्री कोमल लाल पटेल 2-श्री महेन्द्र भंवर 3-श्री राजेन्द्र बाजपेई 4-श्री खेलन प्रसाद शर्मा
24.	प्लान्ट आपरेटर/ परिचारक.	30 (18+12)	38	-	8	1-श्री रमेश उरकुड़े 2-श्री नंदकुमार साहू 3-श्री विष्णु प्रसाद यादव 4-श्री द्वारिका निषाद 5-श्री रामखिलावन पटेल 6-श्री राजकुमार नाग 7-श्री सरजूराम निर्मलकर 8-श्री तिजउराम 9-श्री हुरदानंद 10-श्री देवसिंह 11-श्री कुलेश्वर 12-श्री मोहनलाल दुबे 13-श्री केशवराम डहरिया 14-श्री मेघूराम निषाद 15-श्री थानूराम 16-श्री नथेलू टंडन 17-श्री द्वारिका वर्मा 18-श्री कुन्जराम 19-श्री शंकर लाल साहू 20-श्री सेमराम 21-श्री शत्रुघनलाल साहू 22-श्री कलधर यादव 23-श्री भूनेश्वर प्रसाद वर्मा 24-श्री कुमार यादव 25-श्री शत्रुघन लाल साहू 26-श्री शंकर निषाद 27-श्री जुगल किशोर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						28-श्री भरत राम यादव 29-श्री बोघन लाल 30-श्री भागवत प्रसाद 31-श्री गंगा प्रसाद 32-श्री सोहनलाल 33-श्री भगवती वर्मा 34-श्री रामकुमार साहू 35-श्री जवाहर लाल शर्मा 36-श्री भरतलाल साहू 37-श्री खिलावन साहू 38-श्री खेमराज साहू
25.	भृत्य	3	4	-	1	1-श्री नरसिंह निषाद 2-श्री छन्नू लाल साहू 3-श्रीमती शैल बाई 4-श्रीमती रूखमणी बाई.
26.	स्वीपर	0	1	-	1	1-श्री रविराम बघेल
27.	प्रबन्धक-उत्पादन (संविदा नियुक्ति)	-	1	-	1	1-श्री प्रकाश चन्द्राकर
	योग	**167**	**153**	**41**	**26**	

संक्षेपिका

श्रेणी		कार्यरत संख्या
प्रथम श्रेणी	....	14
द्वितीय श्रेणी	....	12
तृतीय श्रेणी	....	84
चतुर्थ श्रेणी	....	43
	योग	**153**
प्रतिनियुक्ति पर प्रथम श्रेणी		01
प्रतिनियुक्ति पर तृतीय श्रेणी		10

उपरोक्त कार्यरत 153 की संख्या में प्रतिनियुक्ति के 11 कर्मचारी सम्मिलित हैं.

टीप : (1) प्रबन्ध संचालक, दुग्ध महासंघ भोपाल के पत्र क्रमांक 5530 दिनांक 28-10-2000 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय रायपुर दुग्ध संघ सहकारी मर्यादित रायपुर हेतु सेटअप स्वीकृत किया जिसे रायपुर दुग्ध संघ के संचालक मण्डल द्वारा अंगीकृत किया गया है. उक्त समय रायपुर दुग्ध संघ में पदस्थ समस्त कार्यरत कर्मियों को रायपुर दुग्ध संघ में ही दर्शाया गया है जिसके फलस्वरूप कतिपय श्रेणी में पद अतिशेष परिलक्षित होते हैं.

(2) श्री प्रकाश चन्द्राकर, प्रबन्धक (उत्पादन) की संविदा नियुक्ति रायपुर दुग्ध संघ द्वारा एन. डी. डी. बी. के कार्यकाल में की गई.

एम. पी. स्टेट को-आपरेटिव डेयरीफेडरेशन लि. भोपाल

19- B, MAHARANA PRATAP NAGAR, ZONE-II, BHOPAL 462011

क्र. 5530 दिनांक 28-10-2000

परिपत्र

एमपीसीडीएफ की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 19-10-2000 में यह निर्णय लिया गया है कि नवीन छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन एमपीसीडीएफ से संबंद्ध रायपुर दुग्ध संघ दिनांक 1-11-2000 से एमपीसीडीएफ से Delink/ मुक्त होकर स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्यरत रहेगा.

रायपुर दुग्ध संघ के स्वतंत्र निकाय के परिणामस्वरूप संघ में कार्यरत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कुल 41 अधिकारी (सूची संलग्न) जिनकी नियुक्तियां एमपीसीडीएफ द्वारा की गई है की सेवाएं रायपुर दुग्ध संघ को सौंपी जाती है, जिसके फलस्वरूप उनकी वरिष्ठता सूची दिनांक 1-11-2000 से एमपीसीडीएफ के स्थान पर रायपुर दुग्ध संघ स्तर पर संधारित की जावेगी. दिनांक 1-11-2000 से सभी उद्देश्यों के लिए यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति आदि के समस्त अधिकार संचालक मंडल रायपुर दुग्ध संघ को deligate किये जाते हैं.

2. रायपुर दुग्ध संघ में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या 155 है. (सूची संलग्न) इन कर्मचारियों में से ऐसे सभी कर्मचारी जिनका नियोक्ता रायपुर दुग्ध संघ है वे निर्विवाद रूप से रायपुर दुग्ध संघ के कर्मचारी माने जावेंगे. ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति एमपीसीडीएफ द्वारा रायपुर दुग्ध संघ के लिये की गई थी उनकी सेवायें दिनांक 1-11-2000 से रायपुर दुग्ध संघ में संविलियत मानते हुये उनका धारणाधिकार रायपुर दुग्ध संघ में संधारित होगा. उक्त कर्मचारियों में से ऐसे कर्मचारी जिनका धारणाधिकार अन्य दुग्ध संघों में कायम है परंतु वे रायपुर दुग्ध संघ में कार्यरत हैं, की सेवायें दिनांक 1-11-2000 से रायपुर दुग्ध संघ में संविलियत मानी जावेगी तथा उनकी वरिष्ठता सूची दिनांक 1-11-2000 से रायपुर दुग्ध संघ में संधारित की जावेगी.

श्रीमती अरूणा शर्मा,
प्रबंध संचालक

परिशिष्ट "एक"

In view of the enactment of the "The Madhya Pradesh Reorganisation Bill 2000", Raipur Dugdha Sangh Shall be disassociated from MPCDF from the date of formation of Chhattisgarh State and hence as a special case looking to the exigencies the following amendments are made in the set up approved by the Board of Directors of MPCDF dated 4-10-2000. Now the set up for RDS will be as follows :

S. No. (1)	Post/Pay Scale (2)	Sanctioned (3)
1.	General Manager 5100-5700	1
2.	Manager (PO) 3700-5000	1
3.	Manager (FO) 3700-5000	0
4.	Dy. Manager (FO) 3000-4500	1
5	Dy. Manager (PO) 3000-4500	1
6.	Dy. Manager (Mktg) 3000-4500	

(1)	(2)	(3)
7.	Dy. Manager (QC) 3000-4500	0
8.	Dy. Manager (Pur) 3000-4500	1
9.	Dy. Manager (Admn) 3000-4500	1
10.	Dy. Manager (Fin) 3000-4500	1
11.	Asstt. Manager (Pro) 3000-4500	4
12.	Asstt. Manager (Engg) 3000-4500	1
13.	Asstt. Manager (FO) 3000-4500	4
14.	Asstt. Manager (QC) 3000-4500	1
15.	Asstt. Manager (Fin) 3000-4500	1
16.	Asstt. Manager (MIS) 3000-4500	1
17.	Vety. Offcer 2350-4125	0
18.	Processing Supdt. 2000-3500	8
19.	Supdt. (Engg) 2000-3500	1
20.	Supdt.(QC) 2000-3500	1
21.	Supdt.(Fin) 2000-3500	2
22.	Shri Supdt.(Mktrg) 2000-3500	2
23.	Supdt.(MIS) 2000-3500	0

(1)	(2)	(3)
24.	Supdt. (Admn) 2000-3500	0
25.	Asstt. Programmer 2000-3500	0
26.	Field Officer 2000-3500	7
27.	Accountant 1600-2720/1400-2340	6
28.	Stenographer 1600-2720/1400-2340	3
29.	Sr. Technician 1600-2720	4
30.	Data Organiser 1600-2720	2
31.	Sr. Technician (QC) 1600-2720	2
32.	Sales Promotion Organiser 1600-2720	7
33.	Sr. Village Extenion Organiser 1640-2900	6
34.	Village Extenion Organiser 1600-2720	22
35.	Sr. Assistant (Admn) 1400-2340	2
36.	Store Assistant 1400-2340	1
37.	Sales Accountant 1400-2340	0
38.	Sr. Assistant (QC) 1400-2340	3
39.	Boiler Attendant/Operator 1200-2040	1
40.	Technician 1200-2040	12

(1)	(2)	(3)
41.	Tanker Driver 1200-2040	5
42.	Public Relation Assistant 1150-1800	1
43.	Jr. Assistant/LDC 1150-1800	8
44.	Bill Clerk 1150-1800	0
45.	Jr. Assistant/Jr. Asstt. (DCS) 1150-1800	0
46.	Dairy Dock Assistant 1150-1800	0
47.	LDC/Typist/Project Operator 950-1530	4
48.	Jeep Driver 950-1530	4
49.	Plant Operator 1150-1800	12
50.	Attendant 950-1400	18
51.	Peon 750-945	3
52.	Sweeper 750-945	0

पशुपालन एवं डेयरी विभाग, छत्तीसगढ़
डेयरी सेवा का सेटअप

स. क्र.	पदनाम	विभागीय डेयरी सेवा के स्वीकृत पदों की विस्तृत जानकारी							कुल
		संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग रायपुर	राज्य डेयरी प्रयोगशाला रायपुर/बिलासपुर	डेयरी सेवा, एकीकृत डेयरी विकास परियोजना, रायगढ़	डेयरी सेवा, एकीकृत डेयरी विकास परियोजना, अम्बिकापुर	डेयरी सेवा, एकीकृत डेयरी विकास परियोजना, कोरिया	डेयरी सेवा, एकीकृत डेयरी विकास परियोजना, कबीरधाम	डेयरी सेवा, एकीकृत डेयरी विकास परियोजना, जशपुर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	उप दुग्ध आयुक्त	01	01	01	01	01	01	01	07
2.	सहायक दुग्ध आयुक्त	01	04	02	02	02	02	02	15
3.	प्री प्रबंधक/सहा. दु. उ. संगठक/स. दु. रसायनज्ञ.	00	00	01	01	01	01	01	05
4.	क्षेत्रीय पर्यवेक्षक-1	00	00	01	01	01	02	01	06
5.	पर्यवेक्षक ग्रेड-2 (सहा. दुग्ध वि. अधि./क्षेत्रीय अन्वेषक)	00	00	02	01	02	02	01	08
6.	पर्यवेक्षक ग्रेड-3 (विक्रय/संकलन)	00	00	05	04	04	04	04	21
7.	संयंत्र सुधारक	00	00	02	02	02	02	02	10
8.	प्रयोगशाला सहायक	00	2	00	00	00	00	00	02
9.	वाहन चालक	01	3	02	02	02	01	01	12
10.	स्टेनोग्राफर/कम्प्यूटर प्रोग्रामर	00	01	00	00	00	00	00	01
11.	स्टेनोग्राफर-3/शीघ्रलेखक/संगणक चालक.	02	00	01	01	00	00	00	04
12.	सहायक ग्रेड-1	00	00	01	01	01	01	01	05
13.	सहायक ग्रेड-2/लेखापाल	01 (लेखापाल)	00	02	01	02	02	02	10
14.	सहायक ग्रेड-3/आशुलिपिक	03	00	01	01	01	01	01	08
15.	भृत्य	02	02	01	01	01	02	01	10
16.	चौकीदार	00	04	00	00	00	00	00	04
17.	डेयरी परिचारक	00	00	08	07	05	12	08	40
	योग	11	17	30	26	25	33	26	168

संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डेयरी सेवा) के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण

स. क्र.	पदनाम	वेतनमान		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	कार्यरत कर्मचारी अधि./कर्म. का नाम/पदनाम	रिमार्क
		वेतन बैंड	ग्रेड वेतन					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	उप दुग्ध आयुक्त	15600-39100	6600	01	01	00	**श्री सी. के. शुक्ला, उप दुग्ध आयुक्त**	-
2.	सहायक दुग्ध आयुक्त	15600-39100	5400	01	01	-	**श्री वाय. के. पटेल, सहायक दुग्ध आयुक्त**	-
3.	स्टेनो ग्राफर-3	5200-20200	2800	02	00	**02**	**रिक्त**	-
4.	सहायक ग्रेड-2/ लेखापाल	5200-20200	2400	01	03	**-02**	**श्री बुधराम साहू, सहायक ग्रेड-2**	-
							श्री नारायण राव नागले, सहायक ग्रेड-2	रिक्त स्टेनोग्राफर-3 पद के विरुद्ध वेतन आहरण.
							श्रीमती मंजू कुजूर, सहायक ग्रेड-2	
5.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	03	03	00	श्री छेदी सिंह राजपूत, सहायक ग्रेड-3	मंत्रालय में कार्य कर रहे हैं.
							श्री अजय पवार, सहायक ग्रेड-3	-
							श्री राजकुमार सौधिया, सहायक ग्रेड-3	-
6.	वाहन चालक	5200-20200	**1900**	01	00	01	रिक्त	-
7.	भृत्य	4750-7440	1300	02	02	00	श्री प्रकाश शर्मा, भृत्य	-
							श्री श्रवण कुमार मिश्रा, भृत्य	-
			योग	**11**	**10**	**01**		

राज्य डेयरी प्रयोगशाला रायपुर एवं बिलासपुर के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण

सं. क्र.	पदनाम	वेतनमान वेतन बैंड	वेतनमान ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	कार्यरत कर्मचारी अधि./कर्म. का नाम/पदनाम	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	उप दुग्ध आयुक्त	15600-39100	6600	01	00	01	रिक्त	-
2.	सहायक दुग्ध आयुक्त	15600-39100	5400	04	02	02	श्री आर. के. सिंह, सहा. दुग्ध आयुक्त, बिलासपुर	-
							श्री ए. के. पाठक, सहा. दुग्ध आयुक्त, बिलासपुर	-
3.	पारी प्रबंधक	9300-34800	4200	00	01	-01	श्री योगेन्द्र कुमार डोंगरे, पारी प्रबंधक, रायपुर	सहायक दुग्ध आयुक्त के विरुद्ध पदस्थ.
4.	स्टेनोग्राफर/कम्प्यूटर प्रोग्रामर	9300-34800	4300	01	00	01	रिक्त	-
5.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	00	01	-01	श्रीमती कुसूमकांता तिर्की, सहायक ग्रेड-2, बिलासपुर	रिक्त अन्य पद के विरुद्ध वेतन आहरण.
6.	प्रयोगशाला सहायक	5200-20200	1900	02	00	02	रिक्त	-
7.	वाहन चालक	5200-20200	1900	03	01	02	श्री पूशूलाल बाहेश्वर, वाहन चालक, रायपुर	-
8.	भृत्य	5200-20200	1900	02	02	00	श्री ए. जे. जोसेफ, भृत्य, रायपुर	-
							श्रीमती अमरिका बाई, भृत्य, रायपुर	-
9.	चौकीदार	4750-7440	1300	04	04	00	श्री कॉमता प्रसाद वर्मा, चौकीदार, रायपुर	-
							श्री अर्जुन लाल वर्मा, चौकीदार, रायपुर	-
							श्री गयाराम वर्मा, चौकीदार, रायपुर	-
							श्री श्रीराम लांजेवार, चौकीदार, बिलासपुर	-
10.	डेयरी परिचारक	4750-7440	1300	00	04	-04	श्री रामचरण विश्वकर्मा, डेयरी परिचारक, बिलासपुर	रिक्त अन्य पद के विरुद्ध वेतन आहरण.
							श्री दिलीप सोनवाने, डेयरी परिचारक, रायपुर	-
							श्री राजेन्द्र केवट, डेयरी परिचारक, बिलासपुर	-
							श्री किशोर कुमार साहू, डेयरी परिचारक, रायपुर	-
			योग	17	15	02		

पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डेयरी सेवा), एकीकृत डेयरी विकास परियोजना, रायगढ़ के पदों का विवरण

स. क्र.	पदनाम	वेतनमान वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	कार्यरत कर्मचारी अधि./कर्म. का नाम/पदनाम	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	उप दुग्ध आयुक्त	15600-39100	6600	01	00	01	रिक्त	-
2.	सहायक दुग्ध आयुक्त	15600-39100	5400	02	00	02	रिक्त	-
3.	पारी प्रबंधक/सहा. दु. उ. संगठक/स. दु. रसायनज्ञ.	9300-34800	4200	01	01	00	श्री जे. पी. यादव, पारी प्रबंधक	-
4.	क्षेत्रीय पर्यवेक्षक-1	5200-20200	2800	01	00	01	रिक्त	-
5.	पर्यवेक्षक ग्रेड-2 (सहा. दु. वि. अधि./क्षेत्रीय अन्वेषक)	5200-20200	2400	02	00	02	रिक्त	-
6.	पर्यवेक्षक ग्रेड-3 (विक्रय/संकलन)	5200-20200	2200	05	03	02	श्री आर. के. सुमन, विक्रय पर्यवेक्षक श्री एल. पी. त्रिपाठी, संकलन पर्यवेक्षक श्रीमती ज्योति खलखो, संकलन पर्यवेक्षक	- - -
7.	संयंत्र सुधारक	5200-20200	2400	02	00	02	रिक्त	-
8.	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	01	00	01	रिक्त	-
9.	शीघ्र लेखक/संगणक चालक	5200-20200	2800	01	00	01	रिक्त	-
10.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	02	02	00	श्रीमती शिखा बोस, सहायक ग्रेड-2 श्री नाथूराम गुप्ता, सहायक ग्रेड-2	- -
11.	सहायक ग्रेड-3/आशुलिपिक	5200-20200	1900	01	01	00	श्री मनोज कुमार राठी, सहायक ग्रेड-3	-
12.	वाहन चालक	5200-20200	1900	02	02	00	श्री मनकूदास मानिकपुर, वाहन चालक श्री पवित्रो कुमार प्रधान वाहन चालक	- -
	भृत्य	4750-7440	1300	01	00	01	-	-
14.	डेयरी परिचारक	4750-7440	1300	08	10	-02	श्री पिताम्बर यादव, डेयरी परिचारक श्री सपनकुमार सतपथि, डेयरी परिचारक श्री गिन्दुलाल यादव, डेयरी परिचारक श्री गुप्तेश्वर राणा सिदार, डेयरी परि. श्री देव कृष्ण सिंह, डेयरी परिचारक श्री पवन कुमार सारथी, डेयरी परिचारक श्री छेदीलाल पटेल, डेयरी परिचारक	अतिरिक्त कार्यरत 02 डेयरी परिचारक का वेतन आहरण रिक्त उच्च पदों के विरुद्ध किया जा रहा है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							श्री चन्द्रिका प्रसाद वस्त्रकार, डेयरी परि.	-
							श्री देवदत्त सिंह, डेयरी परिचारक	-
							श्री शिवकुमार सिंह, डेयरी परिचारक	-
			योग	30	19	11		

पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डेयरी सेवा), एकीकृत डेयरी विकास परियोजना, अम्बिकापुर के पदों का विवरण

स. क्र.	पदनाम	वेतनमान		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	कार्यरत कर्मचारी अधि./कर्म. का नाम/पदनाम	रिमार्क
		वेतन बैंड	ग्रेड वेतन					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(९)
1.	उप दुग्ध आयुक्त	15600-39100	6600	01	00	01	रिक्त	-
2.	सहायक दुग्ध आयुक्त	15600-39100	5400	02	00	02	रिक्त	-
3.	पारी प्रबंधक/सहा. दु. उ. संगठक/स. दु. रसायनज्ञ.	9300-34800	4200	01	01	-	**श्री मानिक चन्द्र, पारी प्रबंधक**	-
4.	क्षेत्रीय पर्यवेक्षक-1	5200-20200	2800	01	00	01	रिक्त	-
5.	पर्यवेक्षक ग्रेड-2 (सहा. दु. वि. अधि./क्षेत्रीय अन्वेषक)	5200-20200	2400	01	01	00	श्री एस. कुजूर, सहा. दु. वि. अधि.	-
6.	पर्यवेक्षक ग्रेड-3 (विक्रय/संकलन)	5200-20200	2200	04	01	03	श्री इरेन्यूस तिग्गा, संकलन पर्यवेक्षक	-
7.	संयंत्र सुधारक	5200-20200	2400	02	01	01	श्री डी. के. भूआर्य, संयंत्र चालक	-
8.	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	01	00	01	रिक्त	-
9.	शीघ्र लेखक/संगणक चालक	5200-20200	2800	01	00	01	रिक्त	-
10.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	01	00	01	रिक्त	-
11.	सहायक ग्रेड-3/आशुलिपिक	5200-20200	1900	01	01	00	श्री साकेत बिहारी खरे, सहायक ग्रेड-3	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12.	वाहन चालक	5200-20200	1900	02	00	02	रिक्त	-
13.	भृत्य	4750-7440	1300	01	00	01	रिक्त	-
14.	डेयरी परिचारक	4750-7440	1300	07	10	-03	श्री रानानंद कुमार सिंह, डेयरी परि. श्री नन्दुराम पनिका, डेयरी परिचारक श्री दुर्जनराम गौढ़, डेयरी परिचारक श्री मोतीलाल यादव, डेयरी परिचारक श्री बंसत कुमार कुजूर, डेयरी परि. श्री ईश्वर प्रसाद, डेयरी परिचारक श्रीमती रामकुमारी, डेयरी परिचारक श्री सूरज प्रसाद, डेयरी परिचारक श्री नेपाल सिंह रजवाड़े, डेयरी परि. श्री मुकुटधारी राम कुन्बी, डेयरी परि.	अतिरिक्त कार्यरत 03 डेयरी परिचारक का वेतन आहरण रिक्त उच्च पदों के विरुद्ध किया जा रहा है.
			योग	**26**	**15**	**11**		

पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डेयरी सेवा), एकीकृत डेयरी विकास परियोजना, कोरिया के पदों का विवरण

स. क्र.	पदनाम	वेतनमान		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	कार्यरत कर्मचारी अधि./कर्म. का नाम/पदनाम	रिमार्क
		वेतन बैंड	ग्रेड वेतन					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	उप दुग्ध आयुक्त	15600-39100	6600	01	00	01	रिक्त	-
2.	सहायक दुग्ध आयुक्त	15600-39100	5400	02	01	01	श्री के. के. तिवारी, सहा. दुग्ध आयुक्त	-
3.	पारी प्रबंधक/सहा. दु. उ. संगठक/स. दु. रसायनज्ञ.	9300-34800	4200	01	01	00	श्री जागेन्द्र सिंह, पारी प्रबंधक	-
4.	क्षेत्रीय पर्यवेक्षक-1	5200-20200	2800	01	00	01	रिक्त	-
5.	पर्यवेक्षक ग्रेड-2 (सहा. दु. वि. अधि./क्षेत्रीय अन्वेषक)	5200-20200	2400	02	00	02	रिक्त	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.	पर्यवेक्षक ग्रेड-3 (विक्रय/संकलन)	5200-20200	2200	04	00	04	रिक्त	-
7.	संयंत्र सुधारक	5200-20200	2400	02	01	01	श्री अशोक कुमार आसरेकर, संयंत्र चालक	-
8.	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	01	00	01	रिक्त	-
9.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	02	00	02	रिक्त	-
10.	सहायक ग्रेड-3/आशुलिपिक	5200-20200	1900	01	01	00	श्री अंकित सिंह वर्मा, सहायक ग्रेड-3	-
11.	वाहन चालक	5200-20200	1900	02	01	01	श्री ब्रिजेश कुमार मिश्रा, वाहन चालक	-
12.	भृत्य	4750-7440	1300	01	01	00	श्री आसूराम बंजारे, भृत्य	-
13.	डेयरी परिचारक	4750-7440	1300	05	07	-02	श्री राम प्रसाद यादव, डेयरी परि. श्री रमेश कुमार साहू, डेयरी परि. श्री प्रितम राम यादव, डेयरी परि. श्री लाल बिहारी सिंह, डेयरी परि. श्री कृष्ण कुमार यादव, डेयरी परि. श्री मोरध्वज सिंह, डेयरी परिचारक श्री बाबूलाल वर्मा, डेयरी परिचारक	अतिरिक्त कार्यरत 02 डेयरी परिचारक का वेतन आहरण रिक्त उच्च पदों के विरुद्ध किया जा रहा है.
			योग	25	13	12		

पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डेयरी सेवा), एकीकृत डेयरी विकास परियोजना, कबीरधाम के पदों का विवरण

स. क्र.	पदनाम	वेतनमान		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	कार्यरत कर्मचारी अधि./कर्म. का नाम/पदनाम	रिमार्क
		वेतन बैंड	ग्रेड वेतन					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	उप दुग्ध आयुक्त	15600-39100	6600	01	00	01	रिक्त	-
2.	सहायक दुग्ध आयुक्त	15600-39100	5400	02	00	02	रिक्त	-
3.	पारी प्रबंधक/सहा. दु. उ. संगठक/स. दु, रसायनज्ञ.	9300-34800	4200	01	01	00	श्री सुमन झॉं, पारी प्रबंधक	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	क्षेत्रीय पर्यवेक्षक-1	5200-20200	2800	02	00	02	रिक्त	-
5.	पर्यवेक्षक ग्रेड-2 (सहा. दु. वि. अधि./क्षेत्रीय अन्वेषक)	5200-20200	2400	02	00	02	रिक्त	-
6.	पर्यवेक्षक ग्रेड-3 (विक्रय/संकलन)	5200-20200	2200	04	02	02	श्री मिलन राम नेरेठी, संकलन पर्यवेक्षक	-
							श्री आर. के. गंधर्व, संकलन पर्यवेक्षक	
7.	संयंत्र सुधारक	5200-20200	2400	02	00	02	रिक्त	-
8.	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	01	00	01	रिक्त	-
9.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	02	00	02	रिक्त	-
10.	सहायक ग्रेड-3/आशुलिपिक	5200-20200	1900	01	00	01	रिक्त	-
11.	वाहन चालक	5200-20200	1900	01	01	00	श्री नंदकुमार पटेल, वाहन चालक	-
12.	भृत्य	4750-7440	1300	02	01	01	श्री फूल सिंह, भृत्य	-
13.	डेयरी परिचारक	4750-7440	1300	12	11	01	श्री रमेश सिंह राजपुत, डेयरी परिचारक	-
							श्री बल्दुराम साहू, डेयरी परिचारक	-
							श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा, डेयरी परिचारक	-
							श्री रामजी गाड़ा, डेयरी परिचारक	-
							श्री तुलाराम वल्द मेघुराम, डेयरी परि.	-
							श्री तुलाराम वल्द चन्दुलाल, डेयरी परिचारक	-
							श्री लोचन यादव, डेयरी परिचारक	-
							श्री राजाराम साहू, डेयरी परिचारक	-
							श्री हिरेन्द्र राव सिंदे, डेयरी परिचारक	-
							श्री राजेन्द्र मंडावी, डेयरी परिचारक	-
							श्री अमर सिंग सिन्हा, डेयरी परिचारक	-
			योग	33	16	17		

पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डेयरी सेवा), एकीकृत डेयरी विकास परियोजना, जशपुर के पदों का विवरण

स. क्र.	पदनाम	वेतनमान		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	कार्यरत कर्मचारी अधि./कर्म. का नाम/पदनाम	रिमार्क
		वेतन बैंड	ग्रेड वेतन					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	उप दुग्ध आयुक्त	15600-39100	6600	01	00	01	रिक्त	-
2.	सहायक दुग्ध आयुक्त	15600-39100	5400	02	01	01	श्री डी. के. तिवारी, सहायक दुग्ध आयुक्त	-
3.	पारी प्रबंधक/सहा. दु. उ. संगठक/स. दु. रसायनज्ञ.	9300-34800	4200	01	01	00	श्री राजीव साहू, पारी प्रबंधक	-
4.	क्षेत्रीय पर्यवेक्षक-1	5200-20200	2800	01	00	01	रिक्त	-
5.	पर्यवेक्षक ग्रेड-2 (सहा. दु. वि. अधि./क्षेत्रीय अन्वेषक)	5200-20200	2400	01	00	01	रिक्त	-
6.	पर्यवेक्षक ग्रेड-3 (विक्रय/संकलन)	5200-20200	2200	04	03	01	श्री मनोज कुमार तँवर, संकलन पर्यवेक्षक	-
							श्री बृजलाल मंडावी, संकलन पर्यवेक्षक	-
							श्री सुनिल कुमार श्रीवास्तव, संकलन पर्य.	-
7.	संयंत्र सुधारक	5200-20200	2400	02	01	01	श्री सरनाम सिंह यादव, संयंत्र चालक	-
8.	सहायक ग्रेड-1	5200-20200	2800	01	00	01	रिक्त	-
9.	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	02	00	02	रिक्त	-
10.	सहायक ग्रेड-3/आशुलिपिक	5200-20200	1900	01	01	00	श्री शंकर्षण प्रसाद तिवारी, सहायक ग्रेड-3	-
11.	वाहन चालक	5200-20200	1900	01	00	01	रिक्त	-
12.	भृत्य	4750-7440	1300	01	00	01	रिक्त	-
13.	डेयरी परिचारक	4750-7440	1300	08	07	01	श्री सुखमन विश्वकर्मा, डेयरी परिचारक	-
							श्री रमेश कुमार शर्मा, डेयरी परिचारक	-
							श्री दिलबहादुर गुरूंग, डेयरी परिचारक	-
							श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, डेयरी परि.	-
							श्री श्रवण कुमार साहू, डेयरी परिचारक	-
							श्री ग्वालाराम यादव, डेयरी परिचारक	-
							श्री चन्द्रभान वर्मा, डेयरी परिचारक	-
			योग	26	14	12		

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

क्रमांक 11/अ-82/2011-2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	मालाडांड़ प. ह. नं. 2	0.740	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, मरवाही मु. पेण्ड्रारोड जिला- बिलासपुर.	गूजरनाला जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2012

क्रमांक 12/अ-82/2011-2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	ऐंठी प. ह. नं. 3	0.530	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, मरवाही मु. पेण्ड्रारोड जिला- बिलासपुर.	गूजरनाला जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्रमांक 10/ अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	चिचगोहना प. ह. नं. 4	0.088	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, मरवाही मु. पेण्ड्रारोड जिला- बिलासपुर.	चिचगोहना एनीकट के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर दिनांक 6 दिसम्बर 2012

क्रमांक 8/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	भरनी प. ह. नं. 27	0.477	उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र के. रि. पुलिस बल भरनी.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल केम्प निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/04/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला- बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मारकेल, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.82 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	515	0.16
	529	0.66
योग	2	0.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बेदारमुण्डा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्रमांक /522/न. ग्रा. नि./2013 .— एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बिल्हा निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के उपयोग संबंधी मानचित्र का नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी प्रति नगर पंचायत के कार्यालय भवन में एवं जिलाध्यक्ष कार्यालय बिलासपुर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मुंगेली नाका बिलासपुर छ. ग. में दिनांक 06-02-13 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :-

अनुसूची

उत्तर	-	ग्राम मोहभट्टा, केसला तथा हिर्री निपनिया ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम	-	ग्राम हिर्री निपनियां के पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण	-	ग्राम हिर्री निपनियां, केसला, पाथरखान तथा उमरिया ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व	-	ग्राम उमरिया, बिल्हा तथा मोहभट्टा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मुंगेली नाका, बिलासपुर छ. ग. को या निरीक्षण स्थल पर इस सूचना के छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल-नगर पंचायत, कार्यालय भवन, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

क्रमांक /522/न. ग्रा. नि./2013.— Notice is herevy given that the existing land use maps for the Bilha Planning Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection w. e. f. 06-02-13 in Office of Nagar Panchayat Bilha, and the Office of the Collector, Bilha and Joint Director Town and Country Planning Office Mungeli Naka, Bilaspur during Office hours on working days. The limits of Bilha Planning Area are detailed in Schedule given below :-

BILHA PLANNING AREA LIMITS
SCHEDULE

North - Village Mohbhattha, Kesla, Hirri and up to the North limit of Nipaniya.

West - Village Hirri, Kesla and up to the Western limit of Nipaniya.

South - Village Hirri, Nipaniya, Kesla, Patharkhan and up to the Southern limit of Umariya.

East - Village Umariya, Bilha and up to the Eastern limit of Mohbhattha.

If thereby any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Mungeli Naka, Bilaspur or at the Exhibition place at Sakti within a period of thirty days from the date of publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respet to the said existing land use map before the expiry of the specified above will be considered by the Director.

Inspection Site-Nagar Panchayat Office, Bilha.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्रमांक/529/न. ग्रा. नि./2013 .— एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मुंगेली निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के उपयोग संबंधी मानचित्र का नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी प्रति नगर पालिका के कार्यालय भवन में एवं जिलाध्यक्ष कार्यालय मुंगेली एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मुंगेली नाका बिलासपुर छ. ग. में दिनांक 08-02-13 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :-

अनुसूची

उत्तर - ग्राम करही, भरकुन्डा, बिरगांव, घुटेरा, सूरीघाट, देवगांव तथा सुरधा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व - ग्राम रेहुटा, रामगढ़ तथा करही ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण - ग्राम रामाकांपा, दुलहीनबाप, जेटुकांपा तथा रेहुटा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम - ग्राम सुरधा, मोहतरा, नवागांव, हेड़सपुर तथा रामाकांपा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मुंगेली नाका, बिलासपुर छ. ग. को या निरीक्षण स्थल पर इस सूचना के छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल-नगर पालिका, कार्यालय भवन, मुंगेली (छ. ग.)

क्रमांक/529/न. ग्रा. नि./2013.— Notice is hereby given that the existing land use maps for the Mungeli Planning Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection w. e. f. 08-02-13 in Office of Municipalities Mungeli, and the Office of the Collector, Mungeli and Joint Director Town and Country Planning Office Mungeli Naka, Bilaspur during Office hours on working days. The limits of Mungeli Planning Area are detailed in Schedule given below :-

MUNGELI PLANNING AREA LIMITS
SCHEDULE

North - Village Karhi, Bharrakunda, Birgaon, Ghutera, Surighat, Devgaon and up to the North limit of Surdha.

West - Village Surdha, Mohtara, Nawagaon, Hedaspur and up to the Western limit of Ramakapa.

South - Village Ramakapa, Dulhinbap, Jetukapa and up to the Southern limit of Rehuta.

East - Village Rehuta, Ramgarh and up to the Eastern limit of Karhi.

If thereby any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Mungeli Naka, Bilaspur or at the Exhibition place at Sakti within a period of thirty days from the date of publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respet to the said existing land use map before the expiry of the specified above will be considered by the Director.

Inspection Site-Municipalities Office, Mungeli.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्रमांक/536/न. ग्रा. नि./2013 .— एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अकलतरा निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के उपयोग संबंधी मानचित्र का नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी प्रति नगर पालिका के कार्यालय भवन में एवं जिलाध्यक्ष कार्यालय जिला जांजगीर चांपा एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मुंगेली नाका, बिलासपुर छ. ग. में दिनांक 12-02-13 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :-

अनुसूची

उत्तर - ग्राम परसाही, खटोला, बरगंवा तथा खोड़ ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व - ग्राम खोड़, खिसोरा, लिलवाडीह, अमरताल तथा किरारी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण - ग्राम किरारी, तरौद, रोगदा तथा मुरलीडीह ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम - ग्राम मुरलीडीह, पकरिया, लटिया तथा परसाही ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मुंगेली नाका, बिलासपुर छ. ग. को या निरीक्षण स्थल पर इस सूचना के छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल-नगर पालिका, कार्यालय भवन, अकलतरा (छ. ग.)

क्रमांक/536/न. ग्रा. नि./2013— Notice is hereby given that the existing land use maps for the Akaltara Planning Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection w. e. f. ''12-02-13 in Office of Municipalities Akaltara, and the Office of the Collector, Janjgir-Champa and Joint Director Town and Country Planning Office Mungeli Naka, Bilaspur during Office hours on working days. The limits of Akaltara Planning Area are detailed in Schedule given below :-

AKALTARA PLANNING AREA LIMITS
SCHEDULE

North - Village Parsahi, Khatola, Bargawa, and up to the North limit of Khond.

West - Village Khond, Khisora, Lilwadih, Amartal and up to the Western limit of Kirari.

South - Village Kirari, Taraud, Rogda and up to the Southern limit of Murlidih.

East - Village Murlidih, Pakariya, Latiya and up to the Eastern limit of Parsahi..

If thereby any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Mungeli Naka, Bilaspur or at the Ezhibition place at Sakti within a period of thirty days from the date of publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified above will be considered by the Director.

Inspection Site-Municipalities Office, Akaltara.

जे. सी. निदारिया
संयुक्त संचालक.